अ़क्दे इस्तिसनाअ़ (अर्थात आर्डर पर सामान तैयार कराने का मामला) से संबंधित मसाइल

1- अ़क्दे इस्तिसनाअ़ असल में बैअ़ है और यह हर उस छोटी बड़ी चल और अचल वस्तु में जायज़ है जिनमें निम्न लिखित शर्तें पायी जाएं।

अः वह वस्तु उद्योग के योग्य हो।

बः वह वस्तु इस योग्य हो कि मात्रा, गुण, वज़न और साइज़ आदि द्वारा उसको निश्चित किया जा सकता हो।

जः उस वस्तु की तैयारी में मैटीरियल आर्डर लेने वाले की ओर से हो।

दः उसमें आर्डर देने पर क्रय व विक्रय की क्रिया और रिवाज हो।

सः अ़क्द के समय उस वस्तु की जिन्स (प्रकार), क़िस्म, वज़न, साइज़, डीजाइन और अन्य अपेक्षित विशेषताओं का स्पष्टीकरण इस प्रकार कर दिया जाए कि कोई सन्देह या उलझन बाक़ी न रहे।

2- अ़क्दे इस्तिसनाअ़ के बाद दोनों पक्ष मामले के पाबन्द होंगे और किसी पक्ष को दूसरे पक्ष की इच्छा के बिना माल को कैन्सिल करने का हक़ व अधिकार हासिल न होगा।

3- आर्डर क़ुबूल करने वाले को हक़ होगा कि वह सामान स्वयं तैयार करे या दूसरे से तैयार कराए। अलबत्ता मुसतसनेअ़ अर्थात आर्डर देने वाला उस वस्तु के हासिल होने से पहले किसी दूसरे के हाथ नहीं बेच सकता।

4- अ़क्दे इस्तिसनाअ़ में आर्डर स्वीकार करने वाले के लिए अग्रिम रक़म अपनी वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति करना सही है।

5- अ़क्दे इस्तिसनाअ़ में मुबीअ़ (सामान) की हवालगी निर्धारित तारीख़ की पाबन्दी न करने की सूरत में आर्डर देने वाले को होने वाली वास्तविक हानि की क्षति पूर्ति के लिए दोनों पक्ष अ़क्द के समय यदि किसी शर्त पर सहमति कर चुके हों तो इसके पाबन्द होंगे।

☆☆☆

नोटः 23वां फ़िक़्ही सेमिनार (जम्बोसर, गुजरात) दिनांक 28-29 रबीउस्सानी व ण्क जमादिल ऊला 1435 हि0 - 1-3 मार्च 2014 ई0